

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक :- एफ.3(ख) एस-324/1994/2013/565

दिनांक :- 24.07.2023

कार्यालय आदेश

श्री संजय कुमार (लिंक नं. 5243) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भरतपुर जिनकी जन्म दिनांक 25.02.1969 है, का दिनांक 22.06.2023 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 22.06.2023 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.212(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री संजय कुमार के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लंबित नहीं हैं।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.3(ख) एस-324/1994/2013/565

दिनांक :- 24.07.2023

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय कोटा।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्व. श्री संजय कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
4. कोषाधिकारी, भरतपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक माहोदय कार्यालय हाजा।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्रीमति रजनी गोयल को प्रेषित कर लेख है कि यदि आप अथवा आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भरतपुर के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
8. रक्षित पत्रावली/ पदस्थापन सीट/ वरिष्ठता सीट/ एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा।


(कै.जी.गुप्ता)

अति. निदेशक (कार्मिक-II एवं III)